(b) and (c) Do not arise.

(d) Assistant Teachers are promoted to the post of Headmasters, Primary Schools in order of seniority, subject to the availability of the posts. Besides, 75 per cent of th$_e$ posts of TGTs i$_n$ the higher scale are also filled from amongst the Assistant Teachers in order of seniority, provided they possess the qualifications prescribed in the Recruitment Rules and are otherwise eligible.

(e) Entries of provident fund deduction in the Pass Books of the teachers have already been made upto the period ending 78-79. A proper account of deductions from each subscriber is maintained by a separate Section in the N.D.M.C. Entries in the Pass Books for the period 79-80 and onwards will be made when the accounts are finalised.

Central loan to States to purchase and distribute agricultural inputs to fanners

1803. SHRI SHRIKANT VERMA; WiH the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government have sanctioned a short-term loan of Rs. 5 crores to six States to purchase and distribute agricultural inputs to farmers during the current kharif season; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF S/TATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA); (a) and (b) In addition to the Short-term loan normally sanctioned to the States for purchase and distribution of agricultural inputs, namely fertilizers, seeds and pesticides, a sum of Rs. 5.00 crores was sanctioned as short-term loan for meeting the needs for purchase and distribution of agricultural inputs in the following six rice growing States, to be utilised in the identified blocks covered under the Special Rice Production Programme and particularly for assisting the small and marginal farmers in these States:—

(Rs. in crores)

State	Amount of Short-Term Loan sanctioned
Uttar Pradesh . . .	1·00
Madhya Pradesh . . .	0·90
Bihar	1·00
W. Bengal	1·00
Assam	0·40
Orissa	0·70
TOTAL : .	5·00

लदान में विलम्ब के कारण सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा दिये जाने वाला विलम्ब शुल्क

1804. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से मार्च, 1984 के तीन महीनों की अवधि में मास-वार नया गांव और अकलतारा मांढर सीमेंट फैक्ट्रियों से कुल कितने रेल वैगन सीमेंट भर कर भेजी गई ;

(ख) क्या उक्त अवधि में रेल वैगनों में सीमेंट लदान विलम्ब होने के कारण रेलवे को कोई डेमरेज चुकाया गया ;

(ग) यदि हां, तो प्रति मास किस-किस फैक्ट्री द्वारा कितना-कितना डेमरेज दिया गया ;

(घ) क्या सम्बद्ध फैक्ट्रियों के प्रबंधकों से सीमेंट लदान में विलम्ब होने के कारण हुए आर्थिक नुकसान के बारे में पूछताछ की गई है ;

(ङ) क्या प्रबंधकों ने इसके कारण बताए हैं ; और

(च) भविष्य में लदान में विलम्ब न हो, इसके लिये क्या हिदायतें दी गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क)

मास	नया गांव एम०जी०वैगन	अकलतारा बी०जी०वैगन	मांडर वी०जी०वैगन
जनवरी, 1984	1,157	857	925
फरवरी, 1984	1,046	1,029	895
मार्च, 1984	1,074	1,106½	969
योग :	3,277	2,992½	2,789

(ख) और (ग) नया गांव कारखाने द्वारा भुगतान विलम्ब शुल्क निम्न प्रकार हैं :-

मास	नया गांव
जनवरी, 1984 . .	62,850 रु०
फरवरी, 1984 . .	62,184 रु०
मार्च, 1984 . .	16,643 रु०

मांडर कारखाने के बारे में रेलवे से विलम्ब शुल्क के बिल प्राप्त हो गए हैं किन्तु अभी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अकलतरा कारखाने के बारे में विलम्ब शुल्क के बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) से (च) प्रबंधक वर्ग ने सूचित किया है कि अधिकतर विलम्ब शुल्क निर्धारित समय-सीमा के अंदर रैक का लदान करने और इसके लिए वैगनों की व्यवस्था करने पर रेलवे द्वारा आग्रह किये जाने के कारण होता है। वैगनों के लदान में विलम्ब होने के कारणों पर, जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब शुल्क का भुगतान करना पड़ा है, संबंधित रेलवे प्राधिकरणों से चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त भुगतान किये गए विलम्ब शुल्क की मानिटरिंग भी की जाती है और विलम्ब शुल्क से यथा संभव बचने की दृष्टि से संबंधित कारखानों के महा-प्रबंधकों के साथ समय-समय पर विचार विमर्श किया जाता है।

मध्य प्रदेश में सीमेंट के छोटे कारखाने लगाने पर रोक

1805. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में सीमेंट के छोटे कारखाने लगाने पर रोक लगा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस रोक के लगाये जाने के बाद भी मध्य प्रदेश के चार जिले में छोटे कारखाने में सीमेंट उत्पादन हेतु लाइसेंस दिए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?